अध्याय –8 (मैन्युअल–8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

Chapter-8 (Manual-8)

Procedure followed in Decision making process

9.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रकिया अपनाई जाती है।

मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिये संस्था के ज्ञापन पत्र एवं नियम, बीज अधिनियम 1966, भारतीय न्यूनतम बीज मानक, केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं संस्था की कार्य प्रणाली में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है।

9.2 किसी विषय विशेष पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रकिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है।

9.2.1 किसी विषय विशेष के निर्णय हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था को आवेदन दिया जा सकता है।

9.2.2 प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के निर्णय आदेश के विरूद्ध अपील संस्था के अध्यक्ष को की जा सकती है।

9.2.3 अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के निर्णय आदेश के विरूद्ध अपील संस्था के संचालक मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

9.2.4 तकनीकी विषय से संबंधित बिन्दुओं पर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के निर्णय आदेश के विरूद्ध शासन द्वारा गठित अपीलेट अथारिटी के समक्ष अपील की जा सकती है।

9.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुॅचाने के लिये क्या व्यवस्था है।

संस्था द्वारा लिये गये निर्णय, जनता को लिखित में डाक द्वारा दिया जाता है।

9.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है।

संबंधित पटल सहायक द्वारा विचाराधीन प्रकरण, प्रबंध संचालक के समक्ष निर्णय हेतु बीज प्रमाणीकरण अधिकारी/मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं।

9.5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी– प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था

9.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में अलग से प्रस्तुत करें –

क्र0स0	निरंक
विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है)	निरंक
दिशा –निर्देश (यदि हो तो)	निरंक
निर्णय लेने की प्रक्रिया	निरंक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पदनाम	निरंक
निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना	निरंक
निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें।	निरंक